पत्र संख्या-ओ०एम०/आर3-02/83-265/ओएम.

बिहार-सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
(संगठन एवं पद्धति प्र०)

प्रेषक:-

श्री मन्त्रेश्वर झा,
आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव
सरकार के सभी सचिव/विशेष सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 16 सितम्बर, 83

विषय:- संचिकाओं का तीन दिन में निष्पादन।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे को चुस्त दुरूस्त करने के लिये यह आवश्यक है कि सरकारी कार्यालयों में सभी स्तरों पर संचिकाओं का निष्पादन समय पर और शीघ्रता से हो।

2- सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य में पुन: यह निर्णय लिया है कि तीन दिनों के भीतर संचिकाओं के निष्पादन के लिए जो निदेश है उनका कार्यान्वयन दृढ़तापूर्वक किया जाय। इसके प्रसंग में कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के द्वारा परिपत्र सं०-ओ०एम०/आर-01/79-25, दिनांक 16-2-79, सी०एस० 03/एम०-017/80-2800, दिनांक 2-8-80 तथा ओ० एम०/एम1-040/80/80-429, दिनांक 13-12-80 द्वारा अनुदेश सभी विभागों को पूर्व में परिचारित किया जा चुका है।

3- सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि तीन दिनों के बाद जो संचिकाएँ निष्पादित की जायं उनमें टिप्पणियां लाल रंग की स्याही से अंकित की जाय अथवा टिप्पणी देने वाले पदाधिकारी लाल रंग की स्याही से विलम्ब के लिए संक्षिप्त स्पष्टीकरण दें एवं हस्ताक्षर करें।।

4- अत: उक्त के प्रसंग में सरकार द्वारा निर्गत प्रासंगिक परिपत्रों एवं आदेशों की एक-एक प्रतिलिपि संलग्न करते हुये अनुरोध करना है कि कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से उपर्युक्त निदेशों को अनुपालन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा इस सरकारी आदेश का जो भी उल्लंघन करे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
(मन्त्रेश्वर झा)
आयुक्त एवं सचिव। 14/9

रा० ना० प्रसाद/